GRCMS no. → 2025/72

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

भंवरलाल *बनाम* *विक्रम सिंह चौहान*

किस्म मुकद्दमा – अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 बनाराजगी इन्तकाल नं0 612 दिनांक 10.9.2024 तहसीलदार लाडपुरा

प्रकरण संख्या 52 वर्ष **2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-06-2025	पत्रावली पेश हुई । अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्व इन्तकाल नं0 612 दिनांक 10.9.2025 के विरूद्व जरिये अभिभाषक अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट के मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । प्रस्तुत नामान्तरकरण में अपीलान्ट के प्रभावी पक्षकार होने के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट को धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुना गया । वकील अपीलान्ट के कथनानुसार उक्त खातेदारी भूमि पर उनका कब्जा काश्त है, कब्जा काश्त होने की पुष्टि में धारा 91 के नोटिस की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें खसरा नम्बर 185 का उल्लेख है । अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित भूमि के खसरा नम्बर 186,187,188 होकर खातेदार ज्योति धीरिया पत्नि प्रकाश धीरिया के खातेदारी की होने से खातेदार द्वारा विकय पत्र दिनांक 10.09.2024 से सम्पूर्ण हिस्सा विक्रम सिंह चौहान रेस्पोडेन्ट नं0 1 को बेचान किया गया है, जिसका खातेदार को पूर्ण अधिकार है । इस प्रकार हम यह पाते है कि अपीलांट नामान्तरकरण में वर्णित भूमि का प्रभावी पक्षकार नहीं होने से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । अतः अपीलांट, अपीलाधीन नामान्तरकरण में प्रभावी पक्षकार नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं रखता है । प्रस्तुत अपील सुनवाई हेतु ग्रहण नहीं की जाकर एडमिशन पर ही खारिज की जाती है । पंजिका में अंकन किया जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । जिला कलक्टर कोटा	

जिला कलक्टर कोटा